UNIT –IV

(LL.B. 3 YEAR – IIND SEMESTER

& B.A. LL.B. 5 YEAR –

VITH SEMESTER)

01- रिष्टि

02- आपराधिक अतिचार

03- गृहभेदन

04- द्विविवाह

05- मानहानि

06- आपराधिक अभित्रास

.....

रिष्टि के विषय में – (धारा 425–440)

धारा 425 – रिष्टि

सामान्य : – किसी व्यक्ति को उसकी सम्पत्ति से वंचित करना ही नही अपितु उसको क्षति पहुॅचाना भी एक अपराध है। क्योंकि ऐसी क्षति से या तो उसको उपयोगिता नष्ट हो जाती है या उसमें ऐसा परिवर्तन आ जाता है जो स्वामी या उपभोक्ताओं के उद्देश्यों को पूरा नही कर पाती। यद्यपि यह अपराध पूर्व–अपराधों से कम गंभीर प्रकृति का हो सकता है; फिर भी अपराध है, चाहे वह कैसा भी हो; और ऐसे अपराधों को दण्डनीय किया जाना उचित है।

धारा 425 में रिष्टि की परिभाषा दी गई है।''जो कोई इस आशय से या यह संम्भाव्य जानते हुये कि वह लोक को , या किसी व्यक्ति को संदोष हानि नुकसान कारित करें, किसी सम्पत्ति का नाश या किसी सम्पत्ति में या उसकी स्थिति में ऐसी तब्दीली कारित करता है, जिससे उसका मूल्य या उपयोगिता, नष्ट या कम हो जाती है या उस पर क्षतिकारक प्रभाव पड़ता है, वह ''रिष्टि'' करता है।

स्पष्टीकरण 1– रिष्टि के अपराध के लिये यह आवश्यक नहीं है कि अपराधी क्षतिग्रस्त या नष्ट सम्पति के स्वामी को हानि या नुकसान कारित करने का आशय रखे। यह प्रर्याप्त है कि उसका यह आशय है या यह वह सम्भाव्य जानता है कि यह किसी सम्पत्ति को क्षति करके किसी व्यक्ति को चाहे वह सम्पत्ति उस व्यक्ति की हो या नही, सदा हानि या नुकसान कारित करे।

स्पष्टीकरण 2 – ऐसी सम्पत्ति पर प्रभाव डालने वाले कार्य द्वारा, जो उस कार्य को करने वाले व्यक्ति की हो या संयुक्त रूप से उस व्यक्ति की और अन्य व्यक्तियों की हो रिष्टि की जा सकेगी।

दृष्टान्त

क) य को संदोष हानि कारित करने के आशय से य की मूल्यवान प्रतिभूति को क स्वेच्छया जला देता है, क ने रिष्टि की है।

ख) य को संदोया हानि कारित करने के आशय से, उसके बर्फ घर में क पानी छोड़ देता है, और इस प्रकार बर्फ को गला देता है। क ने रिष्टि की है।

ग) क इस आशय से य की अँगूठी नदी में स्वेच्छया फेंक देता है कि य को तद्द्वारा संदोय हानि कारित करे। क ने रिष्टि की है।

घ) क यह जानते हुये कि उसकी चीज वस्तु उस ऋण की तुष्टि के लिये, जो य को उस द्वारा शोधा है, निष्पादन में ली जाने वाली है, उस चीज वस्तु को इस आशय से नष्ट कर देता है कि ऐसा करके ऋण की तृष्टि अभिप्राप्त करने में य को निवारित कर दे और इस प्रकार य को नुकसान कारित करे। क ने रिष्टि की है।

ड़) क एक पोत का बीमा कराने के पश्चात् उसे इस आशय से कि बीमा करने वालो को नुकसान कारित करे, उसको स्वेच्छया संव्यवत (क्षति) करा देता है। क ने रिष्टि की है।

च) य को जिसने बाटमारी पर धन उधार दिया है, नुकसान कारित करने के आशय से क उस पोत को संव्यवत (क्षति) करा देता है। क ने रिष्टि की है।

छ) य के साथ एक घोड़े में संयुक्त सम्पत्ति रखते हुये य को संदोष हानि कारित करने के आशय से क उस घोड़े को गोली मार देता है। क ने रिष्टि की है।

ज) क इस आशय से और यह सम्भाव्य जानते हुये कि वह य की फसल को नुकसान कारित करे, य के खेत में ढेरों (पशु) का प्रवेश कारित कर देता है। क ने रिष्टि की है।

आवश्यक तत्व –

इस धारा में वर्णित अपराध संरचित करने के लिये निम्नलिखित तत्व आवश्यक है–

1. लोक या किसी व्यक्ति को सदोष हानि या नुकसान कारित करने का आशय या इस सम्भाव्यता का ज्ञान;
2. किसी सम्पत्ति को नष्ट करना या उसमें या उसकी स्थिति में कोई तब्दीली करना;
3. ऐसी तब्दीली के फलस्वरूप सम्पत्ति नष्ट हो जाये या उसका मूल्य या उपयोगिता कम हो जाये या उस पर क्षतिकारक प्रभाव पड़े।

नागेन्द्र नाथ राय ब0 विजय कुमार दास वर्मा 1992,

उड़ीसा के वाद में यह प्रेक्षित किया गया कि मात्र उपेक्षा रिष्टि नहीं कहलाती है। परन्तु संदोष हानि अथवा नुकसान कारित करने के आशय के साथ उपेक्षा से रिष्टि का अपराध बनता है। रिष्टि में विनाशकारी आशय के साथ मानसिक कार्य आवाश्यक है।

धारा 426 – **रिष्टि के लिये दण्ड :–**

जो कोई रिष्टि करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 03 माह तक की से सकेगी, या जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।

रिष्टि के लिये गम्भीर रूप एंव उसके लिए दण्ड –

धारा 427 से 440 तक में रिष्टि के गम्भीर स्वरूपों एंव उनके लिये दण्ड का प्रावधान किया गया है।

आपराधिक अतिचार के विषय में धारा 441–462

धारा 441 – आपराधिक अतिचार –''जो कोई ऐसी सम्पत्ति में या ऐसी सम्पत्ति पर जो किसी दुसरे के कब्जे में है। इस आशय से प्रवेश करता है कि वह कोई अपराध करे या किसी व्यक्ति को जिसके कब्जे में ऐसी सम्पत्ति हैः अभित्रस्त, अपगणित या क्षुब्ध करे; अथवा ऐसी सम्पत्ति में या ऐसी सम्पत्ति पर विधिपूर्वक प्रवेश करके वहॉ विधि विरूद्ध रूप में इस आशय से बना रहता है कि तद्द्वारा वह किसी ऐसे व्यक्ति को अभिवस्त ,गयमानित या क्षुब्ध करे या इस आशय से बना रहता है कि वह कोई अपराध करे।

वह 'आपराधिक अतिचार' करता है, यह कहा जाता है।''

दण्ड 442– गृह अतिचार :

जो कोई किसी निर्माण , तम्बू या जक यान में जो मानव–निवास के रूप में उपयोग में आता है, या किसी निर्माण में, जो उपासना –स्थान के रूप में, या किसी सम्पत्ति की अभिरक्षा के स्थान के रूप में उपयोग में आता है, प्रवेश करके या उसमे बना रहकर आपराधिक अतिचार करता है वह गृह अतिचार करता है, यह कहा जाता है।

स्पष्टीकरण – आपराधिक अतिचार करने वाले व्यक्ति के शरीर के किसी भाग का प्रवेश गृह अतिचार गठित करने के लिये प्रर्याप्त प्रवेश है।

दण्ड – धारा 448 01 वर्ष तक कारावास या जुर्माने 1000/– या दोनों

मृत्युदंड से दण्डनीय गृह अतिचार –धारा 449

अजीवन कारावास या कठिन कारावास–10 वर्ष तक और जुर्माने से भी।

धारा 443 : प्रच्छन्न गृह अतिचार –

जो कोई यह पूर्वावधानी बरतने के पश्चात् गृह अतिचार करता है कि ऐसे गृह अतिचार को किसी ऐसे व्यक्ति से छिपाया जाये जिसे उस निर्माण तम्बू या जलपान मे से, जो अतिचोर का विषय है, अतिचारी को अपवर्णित करने या बाहर कर देने का अधिकार है, वह 'प्रच्छदन ग्रह अतिचार' करता है, यह कहा जाता है।''

धारा 403 दण्ड 02 वर्ष तक और जुर्माना

धारा 444 – रात्रौ गृह अतिचार :–

जो कोई सूर्यास्त के पश्चात् और सूर्दोदय से पूर्व प्रच्छन्न गृह अतिचार करता है, वह रात्रौ 'प्रच्छन्न गृह–अतिचार' करता है।

धारा 445– गृह भेदन –

जे व्यक्ति 'गृह अतिचार' करता है, वह गृह –भेदन'' करता है, यह कहा जाता है, यदि वह उस गृह में या उसके किसी भाग में एतास्मिन पश्चात् वर्णित छ तरीको में से किसी तरीके से प्रवेश करता है अथवा यदि वह उस ग्रह में या उसके किसी भाग में अपराध करने के प्रयोजन से होते हुये या वहॉ अपराध कर चुकने पर उस गृह से उसके किसी भाग से ऐसे छःतरीकों में से किसी तरीके से बाहर निकलता है, अर्थात्

पहला– यदि वह ऐसे रास्ते से प्रवेश करता है या बाहर निकलता है जो स्वंय उसने या उस गृह अतिचार के किसी दुष्प्रेरक ने वह गृह–अतिचार करने के लिये बनाया है

दूसरा – यदि वह किसी ऐसे रास्ते से, जो उससे या उस अपराध के दुष्प्रेरक से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा मानव–प्रवेश के लिये आशयित नही है या किसी ऐसे रास्ते से जिस तक कि वह किसी दीवार या निर्माण पर सीढ़ो द्वारा या अन्यथा चढ़कर पहुॅचा है, प्रवेश करता या बाहर निकलता है।

तीसरा – यदि वह किसी ऐसे रास्ते से प्रवेश करता है या बाहर निकलता है जिसको उसने या उस गृह अतिचार के किसी दुष्प्रेरक ने वह गृहअतिचार करने के लिए किसी ऐसे साधन द्वारा खोका है जिसके द्वारा उस रास्ते खोला जाना उस गृह के आधे भोगी द्वारा आशयित नही था।

चौथा – यदि उस गृह– अतिचार को करने के लिए या गृह–अतिचार के पश्चात् उस गृह से निकल जाने के लिए वह किसी ताले को खोलकर प्रवेश करता या बाहर निकलता है।

पांचवा – यदि वह आपाराधिक वक्त के प्रयोग या हमले या किसी व्यक्ति पर हमला करने की धमकी द्वारा अपना प्रवेश करता है या प्रस्थान करता है।

छठॉ – यदि वह किसी ऐसे रास्ते से प्रवेश करता है या बाहर निकलता है जिसके बारे मे वह जानता है कि वह ऐसे प्रवेश या प्रस्थान को रोकने के लिये बन्द किया हुआ है और अपने द्वारा या उस गृह अतिचार के दुष्प्रेरक द्वारा खोला गया है।

स्पष्टीकरण –

कोई उपग्रह या निर्माण , जो किसी गृह के साथ–साथ अधिभोग में है, और जिसके और ऐसे गृह के बीच आने जाने का अव्यवदित भीतरी रास्ता है; इस धारा के अर्थ के अन्तर्गत उस गृह का भाग है।

दृष्टान्त –

क.) य के गृह की दीवार में छेद करके और उस छेद में से अपना हाथ डालकर क गृह अतिचार करता है। यह गृह भेदन है।

ख.) क तल्लों के बीच की बारी में से रंगकर एक पोत में प्रवेश करने द्वारा गृह अतिचार करता है। यह गृह भेदन है।

ग.) य के गृह में एक खिड़की से प्रवेश करने वाला क गृह अतिचार करता है। यह गृह भेदन है।

घ.) एक बन्द द्वार को खोलकर य गृह में उस द्वार से प्रवेश करने वाला क गृह अतिचार करता है। यह गृह भेदन है।

च.) य के गृह के द्वार के छेद में से तार डालकर सिटकनी को ऊपर उठाकर उस द्वार में प्रवेश करने द्वारा क गृह अतिचार करता है। यह गृह भेदन है।

छ.) क को य के गृह द्वार की चाबी मिल जाती है, जो य से खो गयी थी, और वह उस चाबी से द्वार खोल कर य गृह में प्रवेश करने द्वारा गृह अतिचार करता है। यह गृह भेदन है।

ज.) य अपनी ड्योढ़ी मे खड़ा है। य को धक्के से गिराकर क उस गृह में बलात् प्रवेश करने द्वारा गृह–अतिचार करता है। यह गृह भेदन है।

झ.) य जो म का दरवान है, य की ड्योढ़ी में खड़ा है। य को मारने की धमकी देकर क उसको विरोध करने से भयोपरत करके उस गृह में प्रवेश करने द्वारा गृह अतिचार करता है। यह गृह–भेदन है।

धारा 446 – रालौगृह–भेदन –

जो कोई सूर्यास्त के पश्चात् और सूर्योदय से पूर्व गृह –भेदन करता है वह ''रात्रौ गृह – भेदन '' करता है।

विवाह सम्बन्धी अपराधों के सम्बंध में–

(धारा 493–498)

संहिता के इस अध्याय में ऐसे ही अपराधों पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है। जिन्हे हम विवाह –सम्बंधी अपराधों के नाम से सम्बोधित करते हैं। ये अपराध चार प्रकार के है–

- **मिथ्या अथवा प्रवंचक विवाह**
- **द्विविवाह**
- **जारकर्म**
- **आपराधिक सह पलायन**

द्विविवाह –

एक पति या पत्नी के जीवित रहते किसी अन्य व्यक्ति से विवाह करना। मुस्लिम पुरूष को छोड़कर प्रत्येक एक समय में एक ही पति या पत्नी रखने का अधिकारी है; अर्थात् एक पति या पत्नी रखने का अधिकारी है; अर्थात् एक पति या पत्नी के जीवित रहते वह दूसरा विवाह नही कर सकता । यदि वह ऐसे दूसरा विवाह कर लेता है तो उसे द्विविवाह कहा जाता है । द्विविवाह को संहिता के अन्तर्गत एक दण्डनीय अपराध माना गया है। इसको संहिता की धारा 494 के तहत परिभाषित किया गया है।

धारा 494 : पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना –

जो कोई पति या पत्नी के जीवित होते हुये किसी ऐसी दशा में विवाह करेगा जिसमें ऐसा विवाह इस कारण शून्य है कि वह ऐसे पति–पत्नी के जीवन काल में होता है वह

दोनों में से किसी भॉति के कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

अपवाद – इस धारा का विस्तार किसी ऐसे व्यक्ति पर नही है, जिसका ऐसे पति/पत्नी के साथ विवाह सक्षम अधिकारिता के न्यायालय द्वारा शून्य द्योषित कर दिया गया हो। और न किसी ऐसे व्यक्ति पर है जो पूर्व पति–पत्नी के जीवन काल में विवाह कर लेता है। यदि ऐसा पति या पत्नी उस पश्चात्वर्ती विवाह के समय ऐसे व्यक्ति से सात वर्ष तक निरन्तर अनुपस्थित रहा हो , और उस काल के भीतर ऐसे व्यक्ति से यह नही सुना हो कि वह जीवित है, परन्तु यह तब तक कि ऐसा पश्चात्वर्ती विवाह करने वाला व्यक्ति उस विवाह के होने से पूर्व उस व्याक्ति को, जिसके साथ ऐसा विवाह होता है, तथ्यों की वास्तविक स्थिति की जानकारी जहॉ तक कि उसका ज्ञान उसको हो दे दे।

द्विविवाह धारा 494	जार कर्म धारा 497
1. यह एक वैवाहिक अपराध है। इसमें एक पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरा विवाह किया जाना आवश्यक है।	1. यह लैंगिक संभोग या मैथुन संबंधी अपमान है। इसमें अन्य किसी की विवाहिता पत्नी के साथ मैथुन किया जाना आवश्यक है।
2. इसमें पूर्व पत्नी का जीवित होना आवश्यक है।	2. इसमे यह ज्ञात होना आवश्यक है कि वह किसी अन्य की विवाहित पत्नी है।
3. इसमें पति या पत्नी की सहमति का कोई महत्व नही होता है।	3. इसमे यदि पति की सहमति होती है तो जार कर्म का अपराध नही होता।
4. द्विविवाह के लिए 07 वर्ष तक का कारावास , जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।	4. जार कर्म के लिये पॉच वर्ष तक के कारावास या जुर्माना दोनों के प्रावधान है।

<u>मानहानि के विषय में (499–502)</u>

भारतीय दण्ड संहिता की अन्य धाराऍ जहॉ व्यक्ति के व्यक्तिगत शरीरिक और सम्पत्तिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान करती है वहीं धारा 499 उसकी प्रतिष्ठा की हानि पहुॅचाने वाले कार्यो को दण्डित करती है। प्रतिष्ठा मनुष्य के लिये प्राणों से भी प्यारी समझी जाती है, अतः

प्रतिष्ठा की हत्या करना मनुष्य की हत्या करना है। दण्ड संहिता के निर्माण से पूर्व मानहानि को केवल दुष्कृत्य मात्र समझा जाता था, परन्तु अब इसे एक दण्डनीय अपराध बना दिया गया है।

अंग्रेजी विधि में अपमान जनक लेख का प्रकाशन करना शान्ति भंग करना समझा जाता है और इसलिए दण्डनीय है। परन्तु बोले गये अपमान जनक शब्द अपराध की कोटि में नही आते और इसलिये दीवानी विधि की विषयवस्तु समझे जाते है।

जबकि भारत में मानहानि को एक स्वतंत्र अपराध माना गया है। इतना ही नही, भा0 द0 सं0 में अपमानजनक लेख व अपमान जनक शब्द के बीच कोई अन्तर स्थापित न करके दोनों को समान रूप से दण्डनीय बनाया गया है।

धारा 499 के अनुसार –

जो कोई या तो बोले गये या पढ़े जाने के लिये आशयित शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपेणों द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में कोई लाइन इस आशय से लगता या प्रकाशित करता है कि ऐसे लाइन से उस व्यक्ति की ख्याति की अपहानि की जाये या यह जानते हुये या विश्वास करने का कारण रखते हुये लगाता या प्रकाशित करता है कि ऐसे लाइन से ऐसे व्यक्ति की ख्याति की 'अपहानि होगी उस व्यक्ति की मान हानि करता है।

स्पष्टीकरण – 1.

किसी मृत व्यक्ति के बारे में कोई लाछन लगाना मानहानि की कोटि में आ सकेगा यदि वह लांछन उस व्यक्ति की ख्याति की यदि वह जीवित होता , अपहानि करता और उसके परिवार या अन्य निकट सम्बंधियों की भावनाओं को अपहृत करने के लिये आशपित हो।

स्पष्टीकरण –2.

किसी कम्पनी या संगम या व्यक्ति के समूह के संबंध में उसकी वैसी हैसियत मे कोई लांछन लगाना मानहानि की कोटि में आ सकेगा।

स्पष्टीकरण –3

अनुकल्प के रूप में या व्यंग्योक्ति के रूप में अभिव्यक्त लांछन मानहानि की कोटि में आ सकेगा।

स्पष्टीकरण –4

कोई लांछन किसी व्यक्ति की ख्याति की अपहानि करने वाला नही कहा जाता जब तक कि वह लांछन दूसरों की दृष्टि में प्रत्यक्षत या अप्रत्यक्षतः उस व्यक्ति के संदाचारिक या बौद्धिक स्वरूप को है न करे या उस व्यक्ति के जाति क या उसकी आजीविका के संबंध में उसके शील को हेय न करे या उस व्यक्ति के साख को नीचे न गिराये या यह विश्वास न कराये कि उस व्यक्ति की शरीर घृणोत्पादक दशा में है या ऐसी दशा में है जो साधारण रूप से निकृष्ट समझी जाती है।

दृष्टान्त –

क. क यह विश्वास कराने के आशय से कि य ने ख की घड़ी चुराई है कहता है, ''य एक ईमानदार व्यक्ति है, उसने ख की घड़ी कभी नही चुराई है।'' जब तक कि यह अपवाद में किसी के अन्तर्गत न आता हो , यह मान हानि है।

ख. के से पूछा जाता है कि ख की घड़ी किसने चुराई है ? क यह विश्वास कराने के आशय से कि य ने ख की घड़ी चुराई है, य की ओर संकेत करता है। जब तक कि यह अपवादों में किसी के अन्तर्गत नही आता हो यह मान हानि है।

ग. क यह विश्वास कराने के आशय से कि य ने ख की घड़ी चुराई है, य का एक चित्र खीचता है, जिसमें वह ख की घड़ी लेकर भाग रहा है। जब तक कि यह अपवादों में से किसी के अन्तर्गत न आता हो, यह मान हानि है।

मानहानि के आवश्यक तत्व –

1. **किसी व्यक्ति के सम्बंध में**
2. **लांछन**
3. **बोले गये या लिखे गये या संकेतों द्वारा या दृश्यरूपों द्वारा लांछन लगाना :**
4. **प्रकाशनः**
5. **क्षति।**

01. <u>किसी व्यक्ति के सम्बंध में –</u>

मान हानि कारक लांछन किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के विरूद्ध लगाया जाना चाहिये। धारा में प्रयुक्त 'व्यक्ति' शब्द से तात्पर्य उन सभी 'व्यक्तियों' से है जिनकी पहचान की जा सकती है। यहॉ तक कि मृत व्यक्ति भी इसमें सम्मिलित है। यदि अन्य बातें पूरी हो जाती है। प्राकृतिक व्यक्ति के अलावा कम्पनी , संगम व व्यक्तियों का समूह भी व्यक्ति शब्द के अन्तर्गत आते है। धारा का दूसरा स्पष्टीकरण इस सम्बंध में स्पष्ट प्रावधान करता है। टेक चन्द्र ब0 आर0 के0 कर्ण के मामले में

इलाहाबाद उच्च न्या0 ने यह निर्धारित किया है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एक निश्चित एंव पहचाने जाने योग्य निकाय है, इसलिए इसके विरूद्ध लगाये गये लांक्षन मानहानि की कोटि में आ सकेगा।

2. लांछन –

लांछन से तात्पर्य ऐसे लेख अथवा कथन से है जिससे किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को हानि पहुॅचती है। लांछन के लिये यह आवश्यक नहीं है कि वह प्रत्यक्ष हो। अप्रत्यक्ष रूप से कही गयी मान हानि कारक बात भी लांछन की कोटि मे आ सकेगी। के0 आर गोपालकृष्ण ब0 रमन लम्बूदरी 1985 के वाद में न्या0 ने यह अभिगत व्यक्त किया कि यदि कोई टिप्पणी लोक सेवक के कार्य या आचरण के सम्बंध में दी जाती है जो कि उसके कर्त्तव्य पालन से सम्बंधित है तो इसके लिये वह व्यक्ति मानहानि का दावा नही कर सकता । ऐसे मामलो में उसे वरिष्ठ अधिकारियों के पास उसके विरूद्ध प्रार्थना पत्र देना चाहिए।

3 बोले गये , या लिखे गये या संकेतों द्वारा या दृश्यरूपणों द्वारा लांछन लगाना–

धारा 499 के अन्तर्गत को लांछन कमाने का कोई भी एक तरीका निर्धारित नही किया गया है। अंग्रेजी विधि में केवल लिखकर लगाया गया लांछन ही मानहानि के अपराध की संरचना करता है। परन्तु भारतीय विधि इस विषय पर किसी भी प्रकार का अन्तरण स्थापित नही करती। अतः भा0द0सं0 के अन्तर्गत लांछन लिखकर , शब्दों द्वारा बोलकर, संकेतो द्वारा अथवा दृश्यरूपणों द्वारा लगाये जा सकते है। दृश्यरूपणों में मूर्ति, व्यंग्यचित्र तस्वीर आदि आते है।

04. प्रकाशन –

धारा 499 के लिये अपमान जनक वस्तु का प्रकाशन किया जाना अति आवाश्यक तत्व है। इसका अर्थ यह है कि लांछन जिस व्यक्ति पर लगाया गया है उसकों छोड़कर वह किसी अन्य व्यक्ति या लोक की जानकारी में आना चाहिए। अतः जिस व्यक्ति की मानहानि की गयी प्रश्नगत है उसी व्यक्ति को अपमान जनक बात का कहना मानहानि नही माना जा सकता जब तब कि वह किसी तीसरे व्यक्ति की जानकारी में न आ गया हो। पी0 आर0 राम कृष्णन ब0 सुब्बरम्मा ए0आई0आर0 1988 केरला के मामले में शिकायत कर्ता के वकील के द्वारा एक नोटिस जारी की गयी थी, जिसके जवाब में अभियुक्त ने (जो कि वकील था) अपने क्लर्क से एक पत्र लिखाया । पत्र में शिकायत कर्ता से सम्बंधित आरोप थे। पत्र शिकायत कर्ता के क्लर्क को भेजा गया। प्रश्न यह था कि क्या क्लर्क को पत्र की विषयवस्तु बोलना अथवा शिकायतकर्ता के वकील द्वारा पत्र का पढ़ा जाना प्रकाशन माना जाएगा। यह निर्णीत हुआ कि यदि

वकील अपने क्लर्क को किसी नोटिस या पत्र या Pleading लिखता है, तो वह व्यावहारिक अर्थ में वकील की पेशेवर परिधि से परे नही होगा। यह तथ्य कि क्लर्क एक भिन्न मानव के रूप में उसकी विषय वस्तु को जान जाता है, इसे अन्य व्यक्ति को किया गया प्रकाशन नही बनायेगा।

05. **क्षति :–**

मान हानि कारक कथन करने वाले व्यक्ति का आशय मानहानि करने का होना चाहिए अर्थात् ऐसे लांछन द्वारा उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा को हानि पहुॅचाने का आशय होना चाहिए अथवा उस व्यक्ति को इस बात का ज्ञान अथवा विश्वास करने का कारण हो कि उससे उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा की हानि होगी। यह बात साबित करना जरूरी नहीं हैं कि उस व्यक्ति को लांछन द्वारा वास्तविक हानि हुई है। हानि पहुचाने का आशय ही प्रर्याप्त समझा जाता है।

मानहानि के अपवाद –

भारतीय दण्ड संहिता को धारा 499 में 10 अपवाद दिये गये है जो निम्नलिखित है–

पहला अपवाद – सत्य बात का लांछन , जिनका लगाया जाना या प्रकाशित किया जाना जो लोक कल्याण के लिये अपेक्षित है–

किसी ऐसी बात का लांछन लगाना , जो किसी व्यक्ति के संबंध में सत्य हो मान हानि नही है। यदि यह लोक कल्याण के लिये हो ि कवह लांछन लगाया जाए या प्रकाशित किया जाए। लोक कल्याण के लिये है या नहीं यह तथ्य का प्रश्न है।

उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि इन दोनों तत्वों को साबित करने का भार सदैव अभियुक्त पर होता है। चमनलाल ब0 पंजाब राज्य ए0 आई0 आर0 1970 एए0 सी0। चिमनलाल ब0 एं0सुब्रामणयम, 1980 (व्रि0) के मामले में यह निर्धारित किया गया था कि चूंकि अपीलार्थी दोनो तत्वों को साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है तथा साक्ष्य से यही साबित होता है कि प्रत्यार्थी से सम्बंधित लांछन सत्य नहीं है बल्कि शत्रुता से प्रेरित होकर लगाया गया है अतः अपवाद का लाभ नही दिया जा सकता।

ख. दूसरा अपवाद : लोक सेवको के आचरण–

प्रत्येक नागरिक को लोक सेवको के आचरण के सम्बंध में अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है। परन्तु किसी भी व्यक्ति को लोकसेवक के प्राइवेट आचरण के सम्बंध में विचार व्यक्त करने का अधिकार प्रदान नहीं किया जा सकता। धारा 499 के दूसरे अपवाद का लाभ केवल उसी समय प्रदान किया जा सकता है जब कोई व्यक्ति किसी लोक

सेवक के द्वारा किये गये लोक कृत्यों के सम्बंध में सद्भाव पूर्वक विचार व्यक्त करता हो। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि यदि कोई व्यक्ति बिना किसी दुर्भावना से किसी लोक सेवक द्वारा किये गये लोक कृत्यों के सम्बंध में उसके आचरण अथवा शील के सम्बंध में कोई बात कहता है तो वह अपमानजनक होते हुए भी मानहानि की कोटि में नही आयेगीं। करतार सिंह बनाम राज्य 1956 एस0सी0आर0 के मामले मे यह कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति लोक सेवक का पद धारण करता है तो उसे लोक कृत्यों के सम्बंध में की जाने वाली आलोचनाओं को सुनने के लिये तैयार रहना चाहिये।

तीसरा अपवाद : किसी लोक प्रश्न के संबंध में किसी व्यक्ति का आचरण–

यदि कोई व्यक्ति किसी लोक प्रश्न के सम्बन्ध में अपने विचार सद्भावपूर्वक व्यक्त करता है तो इसे धारा 449 के तीसरे अपवाद का लाभ दिया जा सकता है। लेकिन इसके लिये यह आवश्यक कि किसी व्यक्ति के आचरण व शीक के सम्बंध में केवल उस सीमा तक ही मत व्यक्त किया गया हो जहॉ तक उसका आचरण अथवा शील लोक प्रश्न से सम्बंध रखता है अर्थात् यदि एक चित्रकार, पत्रकार, विधानशास्त्री लोक महत्व के मामलों में भाग लेता है तो उसके इस प्रकार के आचरण व शील के सम्बंध में व्यक्त किया मत मानहानि नही हो सकता।

घ. चौथा अपवाद – न्यायालयों के कार्यवाहियों की रिपोर्टो का प्रकाशन –

न्यायालयों में की जाने वाली कार्यवाहियों की सही रिपोर्टो को प्रकाशित करना मानहानि नही है। यद्यपिइ स प्रकार के प्रकाशन से व्यक्ति विशेष की मानहानि का होना सम्भव है परन्तु जन साधारण के हित को ध्यान में रखकर इस प्रकार के प्रकाशन को संरक्षण प्रदान करना उचित प्रतीत होता है।

के0 नागेन्द्र ब0 अमृत कुमार, 1973, राम के मामले में प्रत्यर्थी को एक दाण्डिक मामले में वकील नियुक्त किया गया। अभियुक्त ने इस मामले में न्यायाधीश को रिश्वत देने के लिये 800 रू0 को रकम प्रत्यर्थी को दिया किन्तु यह मामला अभियुक्त के विरूद्ध निर्णीत किया गया। अभियुक्त ने न्यायालय में ही यह शोर मचाना शुरू कर दिया कि जब वह रिश्वत देने के लिये धन दे चुका है तो मामला उसके खिलाफ कैसे निश्चित किया गया। प्रत्यर्थी ने अपने आपको बचाने के लिये यह कहा कि रिश्वत के लिये धन उसने नही बल्कि उसके कनिष्ठ अधिवक्ता ने लिया था। कनिष्ठ अधिवक्ता ने प्रत्यर्थी के विरूद्ध मुकदमा दरार कर दिया। पिटीश्नर नं0 2 को किसी प्रकार इस मामले की विषयवस्तु बयान आदि मिल गयी जिन्हे उसने **'वीर अर्जुन'** के सम्पादक के पास भेज दिया। प्रत्यर्थी के द्वारा **'वीरअर्जुन'** के सम्पादक के विरूद्ध व पिटीशनर नं0 2 के विरूद्ध मुकदमा चलाये जाने पर न्यायालय ने इस प्रकार के प्रकाशन को न्यायालय की कार्यवाही का अंग माना।

अन्नदा प्रसाद ब0 मनोत्तमदास, ए0आई0आर0 1953 कल के नाम के में यह कहा गया कि 'विधि के अधीन जो कुछ भी अपेक्षित है वह यह कि सारतः वह सही रिपोर्ट होनी चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि वह पूर्ण रूप से अक्षरशः सही हो। इस अपवाद के लिये सद्भाव का कोई महत्व नहीं।

पांचवा अपवाद : न्यायालय में विनिश्चित मामले के गुणागुण या साक्षियों तक सम्प्रक्त अन्य व्यक्तियों का आचरण –

न्यायालय द्वारा निर्णीत मामले के गुणागुण अथवा उसके साक्षियों अथवा उससे सम्बंधित अन्य व्यक्तियों के आचरण के सम्बंध में सद्भावपूर्वक व्यक्त की गयी राय मान हानि नही है। परन्तु इस अपवाद के लिये यह आवश्यक है कि जिस व्यक्ति के सम्बंध में राय व्यक्त की जा रही है उसका सम्बंध उस आचरण से अवश्य होना चाहिए जिससे उसका शील प्रकट होता है। किसी के व्यक्तिगत चरित्र अथवा शील पर आक्रमण करना इस अपवाद की सीमा से बाहर समझा जाता है। जैसा कि इस अपवाद के दृष्टान्त में कहा गया है कि साक्ष्य के आधार पर लगता है कि 'क' अवश्य मूर्ख है। यहॉ क के सम्बंध में प्रकट विचार साक्ष्य पर आधरित है परन्तु यदि यह कहा जाए कि मै उसके साक्ष्य पर विश्वास नही करता क्योंकि मै जानता हूॅ वह मूर्ख है उस व्यक्ति की मान हानि होगी जिसके संबंध में ऐसा कहा गया है।

च.) छठा अपवाद – लोक कृति के गुणागण –

लोक के निर्णय के लिये प्रस्तुत की गयी लोक कृति के सम्बंध में कोई राय जाहीर करना मान हानि नही है। परन्तु यहॉ पर भी प्रतिबंध यही है कि इस प्रकार प्रकट की गयी राय सद्भावपूर्वक हो तथा वह लोक कृति से प्रकट आचरण के सम्बंध में हो। व्यक्तिगत आचरण के सम्बंध में लगाये गये लांछन मान हानि की कोटि में आ सकेंगें।

छ.) सातवॉ अपवाद – किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर विधिपूर्ण प्राधिकार रखने वाले व्यक्ति द्वारा सद्भाव पूर्वक की गई परिनिन्दा–

विधिपूर्ण प्रधिकार रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा अपने अधीन आने वाले व्यक्ति की परिनिन्दा करना उनका अपमान नहीं माना जा सकता। परन्तु यदि वह इस विशेषाधिकार का अतिक्रमण करता है तो वह मान हानि के लिये दण्डनीय हो सकेगा। उदाहरण तथा यदि कोई व्यक्ति किसी सेवक की शिकायत उसके स्वामी के सामने करता है तो वह अपमान जनक होते हुये भी मानहानि नही मानी जायेगी परन्तु यदि वह इसी बात को समाचार पत्रों में प्रकाशित करवा देता है तो वह मानहानि के लिए दण्डनीय हो सकेगा।

ज. आठवॉ अपवाद : प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष सद्भाव पूर्वक अभियोग लगाना –

किसी प्रधिकृत व्यक्ति के समक्ष किसी व्यक्ति पर सद्भावपूर्वक अभियोग लगाना मानहानि नहीं है। परन्तु इसके लिये यह आवश्यक है कि जिस व्यक्ति पर यह आरोप लगाया गया है वह उस प्राधिकृत अधिकारी के क्षेत्राधीन हो अर्थात् उस पर प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष अभियोग चलाया जा सकता हो। संक्षेप में धारा 449 के आठवें अपवाद के लिये यह आवश्यक है कि अभियोग ऐसे व्यक्ति के समक्ष लगाया जाये जिसका अभियुक्त पर विधिपूर्ण प्रधिकार हो तथा अभियोग सद्भावपूर्वक लगाया जाना चाहिये। दृष्टानत स्वरूप में यदि क मजिस्ट्रेट के समक्ष य पर सद्भावपूर्वक अभियोग लगाता है, यदि क एक सेवक एक सेवक य के आचरण के सम्बंध में य के मालिक से संद्भाव पूर्वक शिकायत करता है, यदि क एक शिशु य के सम्बंध में य के पिता से सद्भावपूर्वक शिकायत करता है, तो क इस अपवाद के अन्तर्गत आता है।

झ.) नवॉ अपवाद – अपने तथा अन्य के हितों की संरक्षा के लिये किसी व्यक्ति द्वारा सद्भावपूर्वक लगाया गया लांछन–

अपने स्वयं के हित अथवा किसी अन्य व्यक्ति के हित के संरक्षण के लिये लगाया गया कोई भी लांछन मानहानि नहीं है यदि वह सद्भावपूर्वक लगाया जाता है। पहला अपवाद जहॉ केवल उन लांछनों को संरक्षण प्रदान करता है जो सच है वही यह अपवाद सभी उन लाछंनो को संरक्षण प्रदान करता है जो सद्भावपूर्वक अपने या किसी अन्य के हित की संरक्षा के लिये लगाये गये है। सुकरा महतो बनाम वासुदेव कुमार महतो, 1971 के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि लांछन लगाने वाले व्यक्ति का हित संरक्षण यह साबित करके सिद्ध करना होगा कि लांछन लगाने वाले व्यक्ति द्वारा लगाये गये लांछन से ही उस व्यक्ति का हित संरक्षित होता था। किसी भी व्यक्ति को यह विकल्प प्राप्त नही है कि वह पहले तो मानहानि कारक करे और बाद में हित संरक्षण का लाभ उठाये।

हर भजन सिंह ब0 पंजाब राज्य ए0 आई0 आर0 1966 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि पता यह लगाना होगा कि क्या सम्बंधित व्यक्ति ने सम्यक सावधानी व सतर्कता पूर्वक कार्य किया है और इसके लिये साधारण या वास्तविक विश्वास होना मात्र पर्याप्त नहीं अपीलार्थी को यह साबित करना होगा कि आक्षेपयुक्त कथन की बावत उसका विश्वास तर्कपूर्ण था और वह विश्वास अन्ध विश्वास मात्र नही था अतः सम्यक सावधानी व सतर्कता महत्त्वपूर्ण है।

उच्चतम न्यायालय ने बलराज खन्ना ब0 मोतीराम ए0आई0आर0 1974 के वाद में अभिनिर्धारित किया है कि उपर्युक्त वर्णित अपवादों का आश्रय केवल विचारण प्रारम्भ होने के पश्चात् जॉच की अवस्था पर लिया जा सकता है।

ड.) **दसवॉ अपवाद : सावधानी, जो उस व्यक्ति की भलाई के लिये, जिसे कि वह दी गई है या लोक कल्याण के लिये आशापित है–**

एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के विरूद्ध सद्भाव–पूर्वक सावधान किया जाना मानहानि नहीं है। परन्तु इस अपवाद का लाभ तभी प्राप्त किया जा सकता है जब ऐसी सावधानी उस व्यक्ति की भलाई के लिये की गयी हो जिसे वह दी गयी है या फिर लोक कल्याण के लिये हो, अन्यथा वह मान हानि के अपराध का दोषी ठहराया जा सकेगा।

धारा 503 – '**आपराधिक अभित्रास**' :–

जो कोई किसी अन्य व्यक्ति के शरीर , ख्याति या सम्पत्ति को, या किसी ऐसे, व्यक्ति के शरीर या ख्याति को, जिससे वह व्यक्ति छिनवाद्ध हो, कोई क्षति कारित करने की धमकी उस अन्य व्यक्ति को इस आशय से देता है कि उसे संत्रास काथित किया जाये, या उससे ऐसी धमकी के निष्पादन का परिवर्णन करने के साधन स्वरूप कोई ऐसा कार्य कराया जाए जिसे करने के लिये वह वैघ रूप से आवद्ध न हो, या किसी ऐसे कार्य को करने का लोप कराया जाये, जिसे करने के लिये वह वैध रूप से हकदार हो, वह आपराधिक अभित्रास करता है।

स्पष्टीकरण –

किसी ऐसे मृत व्यक्ति को क्षति करने की धमकी , जिससे वह व्यक्ति , जिसे धमकी दी गई है , हितबद्ध हो, इस धारा के अन्तर्गत आता है।

दृष्टान्त –

सिविल वाद चलाने से उपरत रहने के लिये ख को उत्प्रेरित करने के प्रयोजन से ख के घर को जलाने की धमकी क देता है। क आपराधिक अभित्रास का दोषी है।

धारा 506 : दण्ड –

दो वर्ष तक कारावास या जुर्माने से ना दोनों। यदि धमकी मृत्यु या घोर उपहति इत्यादि करित करने की हो– 07 वर्ष तक कारावास या जुर्माना या दोनों।